मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3323
12.07.2019 को उत्तर के लिए

उद्योगों द्वारा प्रदूषण

3323. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक विकास वायु, जल और ध्वनि के प्रदूषण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) सरकार द्वारा देश में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक के रूप में चिन्हित किए गए ऐसे उद्योगों/विद्युत संयंत्रों का उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त प्रदूषणकारी इकाइयों/प्रतिष्ठानों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और
(ङ) सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ड.) जब तक उद्योगों को पर्यावरणीय अनुकूल रीति से स्थापित तथा परिचालित नहीं किया जाएगा तब तक ये वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत बने रहेंगे। औद्योगिक प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत उद्योग विशिष्ट उत्सर्जन और बहिस्राव मानकों के लिए अधिसूचना जारी करना तथा सहमति तंत्र, नियमित निगरानी इत्यादि के माध्यम से उनको लागू करना; प्रदूषण स्तरों की नियमित जांच के लिए उत्सर्जन और बहिस्राव की निगरानी प्रणाली की ऑनलाइन स्थापना के लिए दिशानिर्देशों को जारी करना; प्रदूषण की संभाव्यता के आधार पर उद्योगों का श्रेणीकरण करना, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विभिन्न दिशानिर्देश जारी करना इत्यादि ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 श्रेणी के उद्योगों की पहचान की है जिसमें थर्मल पावर प्लांट्स भी हैं तथा 2016-17 से कम्प्यूटर सृजित चेतावनी से उत्सर्जन/बहिस्राव की ऑनलाइन सतत निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) के आधार पर इन उद्योगों का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के लिए उद्योगों का चयन ऑनलाइन निगरानी प्रणाली से सृजित चेतावनी शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के आधार पर किया जाता है। 14.06.2019 तक कुल 592 उद्योगों का निरीक्षण किया जा चुका है तथा 347 उद्योगों को अनुपालन नहीं करने पर उन्हें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी किए गए हैं और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु और जल अधिनियमों की धारा 18(1)(ख) के तहत एक निर्देश जारी किया गया है। राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

*****

अनुबंध

'उद्योगों द्वारा प्रदूषण' के संबंध में दिनांक 12.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3323 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एसएमएस चेतावनी के तहत निरीक्षण किए गए उद्योगों की संख्या तथा 2016-17 (14.06.2019 तक) की गई कार्रवाई का राज्य ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	निरीक्षण किए गए उद्योगों की संख्या	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी दिशा-निर्देश	वायु और जल अधिनियमों की धारा 18(1)(ख) के तहत जारी किए गए निर्देश
1	आंध्र प्रदेश	37	18	0
2	असम	28	17	0
3	बिहार	5	1	0
4	छत्तीसगढ़	26	12	0
5	दिल्ली	1	0	0
6	गुजरात	64	41	0
7	गोवा	3	0	0
8	हरियाणा	26	12	0
9	हिमाचल प्रदेश	7	4	0
10	जम्मू और कश्मीर	8	5	0
11	झारखंड	30	20	0
12	कर्नाटक	27	16	0
13	केरल	7	9	0
14	मध्य प्रदेश	30	17	0
15	महाराष्ट्र	52	33	1
16	मेघालय	12	6	0
17	ओडिशा	34	26	0
18	पुडुचेरी	1	0	0
19	पंजाब	22	8	0
20	राजस्थान	33	10	0
21	सिक्किम	1	2	0
22	तमिलनाडु	37	21	0
23	तेलंगाना	21	15	0
24	त्रिपुरा	1	0	0
25	उत्तर प्रदेश	39	27	0
26	उत्तराखंड	6	5	0
27	पश्चिम बंगाल	34	22	0
कुल		**592**	**347**	**1**

*****